न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – अमृत सागर लाल ....बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 37/2023

द्वितीय पक्ष – श्री प्रेमचंद लाल ..... बगैरह।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	अनुमण्डल गुमला के पत्रांक 247/सा0 न्यायालय गुमला दिनांक 26/04/2023 के द्वारा पत्राचार के माध्यम से प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रथम पक्ष **प्रथम पक्ष (1)** अमृत सागर लाल पिता स्व0 मटुकधारी सिंह उर्फ मटूकधारी लाल उम्र 50 वर्ष ग्राम चटकपुर थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) श्री प्रेमचंद लाल उम्र 50 वर्ष पिता गणेश लाल निवासी ग्राम रामतोल्या (2) रेखा देवी पति प्रेमचंद लाल ग्राम रामतोल्या थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा चटकपुर के खाता सं0 35, प्लॉट सं0 377 रकबा 0.36 एकड़ भूमि की खरीद बिक्री एवं पैसा का लेन देन को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त किये है न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है:– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । 3/1/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.07.02 20:08:59 +05:30 Location: 192.168.246.206	